


रीडर

19.12.23

प्रजावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण का मूल वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम धजरी अदम पंखी में खारिज किया जा चुका है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थनाका भी आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम धजरी अदम पंखी में खारिज किया जाता है। निर्णय लेने के लिए अदम धजरी प्रकरण फैसल शुमार होना नम्बर से कम है।


प्रतिभा वर्मा
DAS
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर